- (a) the amount earmarked for the purpose of industrial development of backward Districts of Orissa: and
- (b) the nature of industries proposed to be stared?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRIAL DEVELOP-MENT (SHRI GHANSHYAM OZA): (a) and (b). Funds have been set apart for the country as a whole for the 10 per cent investment subsidy allowed, subject to certain conditions, to new industries set up in selected backward districts. Industries which may be set up in the two backward districts of Orissa, viz. Kalahandı and Mayurbhanj. will also be entitled to the 10 per cent investment grant if they qualify under that scheme. In addition to this, the State Government are providing financial assistance under the State-Aid to Industries Act on a priority basis to industries in the backward areas of Orissa.

Concessional finance from financing institutions is available for industries set up in the following backward districts of Orissa:

Bolangir, Mayurbhanj, Dhenkanal, Kalahandi, Balasore, Koonjhar, Koraput and Phulbhani.

The State Government have surveyed the districts of Balasore, Koraput, Kalahandi and Bolangir to assess the Industrial potential of these districts. The Industrial Development Bank of India have also carried out a survey of the State and a report has been submitted to the State Government. It is expected that the State agencies and entreprenuers would take advantage of these survey reports and set up industries in the backward areas of Orissa.

केन्द्रीय सिंबबालय आशुलिपिक सेवा में पर्यान्तिका सभाव

- 448. डा॰ संसदा प्रसाद : स्या प्रचान मंत्री यह बताने की कुपा करेंगे कि :
 - (क) स्या केन्द्रीय सचिवालय आधु-

लिपिक सेवा के झाशुलिपिकों को, जिनका वेतन कम 210-5३0 रुपये है, पदोन्नति के लिये किसी प्रतियोगी परीक्षा में बैठने की झनु-मित नहीं है जिसमें इस श्रेणी के लिये पदो-न्नित का कोई अवसर नहीं है;

Written Answers

- (स) क्या सरकार इस श्रेणी को पदो-न्नति के अवसर देने के लिए किन्हीं उपायीं पर विचार कर रही है, और
- (ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या उपाय किए है, और यदि कोई उपाय ही किये गये, तो इसके क्या कारण है?

गृह-संत्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (स्ती राम निवास मिर्झा) : (क) से (ग) इस समय केन्द्रीय सचिवालय आधुलिपिक सेवा में निम्न 4 ग्रंड शामिल हैं :

ग्रेड-।। ... 130-280 हमये ग्रेड-। ... 210-530 हमये ग्रेड-। ... 350-770 हमये प्रवरण ग्रेड ... 350-900 हमये

इस सेवा के ग्रेड-। तथा प्रवरण ग्रेड में सभी
पदों को वरिष्ठता का यथोजित ध्यान में रखते
हुए योग्यता के आधार पर निम्न ग्रेड से पदोन्नति द्वारा भरा जाता है। इस समय ग्रेड-1
प्रवरण ग्रेड में पदों को भरने के लिए विभागीय
प्रतियोगित परीक्षा के सभार पर किसी प्रतिशतता की स्यवस्था नहीं है।

1-8-1969 से केन्द्रीय सिववालय धाधु-लिपिक सेवा का पुनर्गठन कर दिया गया है, जिसके परिणाम-स्वरूप सेवा में ग्रेड-। वेतन-मान में भागे वढ़ोतरी, ग्रेड-। के पदों की संक्या में वृद्धि और प्रवरण ग्रेड के चालू हो जाने से सदस्यों के लिए पदोन्नित के श्रवसरों में सुभार हुआ है।

Setting up of Atomic Plants in the Country

449. SHRI B.K. DASCHOWDHURY 1